पत्र संख्या–6/ब0गै0यो0–01–05/2016गृ0आ0...../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना की मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस–001–निदेशन एवं प्रशासन–0001–अधीक्षण, विषय शीर्ष 41 01–गुप्त सेवा व्यय तथा विपत्र कोड N2055000010001 अंतर्गत आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2117, दिनांक 24.02.2016 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार इण्टरमीडिएट/वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 एवं मद्य निषेध के अवसर पर सूचना देने वाले सूचकों को पुरस्कृत करने हेतु गुप्त सेवा व्यय इकाई में अनुमान्य राशि कुल ₹ 1,95,500 (एक लाख पंचानवे हजार पाँच सौ रू0) का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना के मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0001–अधीक्षण, विषय शीर्ष 41 01–गुप्त सेवा व्यय तथा विपत्र कोड N2055000010001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–5294, दिनांक 17.06.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्ण रूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेंगी।

5. उपर्युक्त आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक–8279 दिनांक 20.08.07 द्वारा निर्गत मार्ग निदेश के अनुसार विहित प्रपत्र में गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

7. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

9. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–6/ब0गै0यो0–01–05/2016गृ0आ0.....1616.....पटना, दिनांक 01.03.16

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.3.16

सरकार के प्रधान सचिव